

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 41/2022

तारीख दायर :-09.02.2022

दिनांक निर्णय :-21.02.2022

सरकार जरिये पटवारी हल्का बीघोता तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

हरदयाल पुत्र परशुराम जाति मीना निवासी बीघोता तहसील राजगढ़ अलवर

अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बीघोता द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई की गैरसायल मुकेश पुत्र परशुराम जाति मीना निवासी बीघोता तहसील राजगढ़ जिला अलवर के द्वारा बीघोता के राजकीय सिवायचक गैर मु0 पहाड आ0ख0न0 01 रकबा 24.13 में से 30.00 है0 भूमि पर सम्बत् 2078 के पड़त भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है।

प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल हरदयाल पुत्र परशुराम जाति मीना उपस्थित आया। गैरसायल के द्वारा जवाब नोटिस पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जिससे गैरसायल द्वारा करीब 50 वर्षों से अपना कब्जा होना अंकित किया है। जिसके सम्बंध में गैरसायल द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आराजी की किस्म गैर मु0 पहाड़ हैं जो कि प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैरसायल हरदयाल पुत्र परशुराम जाति मीना काबिल बेदखली है। गैरसायल के विरुद्ध शरह लगान की 1.00 की 50 गुणा में राशि 50.00/-रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। राजस्व लेखों में मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ व पटवारी हल्का बीघोता को लिखा जावे।

आज दिनांक 21.02.2022 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

रा. ले. सं. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 16 पर सि. घ. 50/-
राशि कायम किये गये।
त. स. लेखाकार

(अंकित कुमार)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर